उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर लखनऊ–226006

सीयूजी : 91–9454404740
E-Mail : radiohq@nic.in

फैक्स : 91–522–2335346
Website : uppolice.gov.in

पत्रांकः 100 / 101–बी–495 / 2020

दिनांकः अप्रैल 22 ,2020

सेवा में,

समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक / सेनानायक,
जनपद / ईकाई, उ0प्र0।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नियुक्त रेडियो निरीक्षको से मानक मद 04–सामान्य यात्रा भत्ता, 05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, 44–प्रशिक्षण यात्रा भत्ता, 45–एलटीसी व 49– चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कर्मियों के लम्बित बिलों की नामवार व दिनांकवार सूची ऑन–लाईन मॉगी गयी थी।

2– आपके जनपद को सहायक रेडियो अधिकारी, प्रशासन के समसंख्यक पत्र दिनांकितः 22.04.2020 के द्वारा विभिन्न मदों में अनुदान आवंटित कर दिया गया है। जिन कर्मियों का 04–सामान्य यात्रा भत्ता, 05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, 44–प्रशिक्षण यात्रा भत्ता, 45–एलटीसी व 49– चिकित्सा प्रतिपूर्ति **का बिल आहरित किया जाना है, उनके नाम की सूची पीडीएफ फार्मेट में उत्तर प्रदेश पुलिस की वेवसाइट के टेलीकॉम सेक्शन के एक्ट एण्ड रूल्स में क्रमांक संख्या–18 से 22 तक अलग–अलग अपलोड कर दी गयी है।**

3– सूची में अंकित अधिकारियों / कर्मचारियों के लम्बित बिलों को जॉचने के बाद वास्तविक धनराशि का भुगतान दिनांकः 30.05.2020 तक कराकर इस मुख्यालय को सूचित कराने का कष्ट करे। सूची में अंकित कर्मियों के इंगित बिलों का भुगतान करने के बाद यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उसके सम्बन्ध में इस मुख्यालय को 31.05.2020 तक अवश्य सूचित कर दिया जाय।

4– यह भी ध्यान रखा जाय कि बिलो का भुगतान ग्रुपिंग के मदों से न किया जाय।

अतः अनुरोध है कि आपके जनपद के जिन कर्मियों का बिल आहरित किया जाना है उनकी सूची उत्तर प्रदेश पुलिस की वेवसाइट से डाऊनलोड कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करे। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेवसाइट को खोलने व सूची को देखने / डाऊनलोड करने का तरीका निम्नवत् है–

लम्बित बिलों की सूची–

http://uppolice.gov.in>policeunit>telecom>act&rules>18- लम्बित यात्रा भत्ता बिल, 19– लम्बित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, 20– लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 21– लम्बित प्रशिक्षण यात्रा भत्ता एवं 22– लम्बित एलटीसी के बिल की सूची जिन्हे आहरित कराया जाना है।

22/4/2020
(सुनील कुमार शुक्ला)
राज्य रेडियो अधिकारी(प्रशासन)
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर–लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त राज्य रेडियो अधिकारी / अपर राज्य रेडियो अधिकारी / सहायक रेडियो अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त रेडियो निरीक्षक जनपद को इस आशय से कि वह उक्तानुसार अपने से सम्बन्धित जनपद के अपने से सम्बन्धित कर्मियों के नाम की सूची का प्रिन्ट आउट निकालकर आंकिक शाखा से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप तत्काल अनुदान का उपभोग कराना सुनिश्चित करे।

Scanned by CamScanner